रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2002/चैत्र 7, 1924

No. 58] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2002/CHAITRA 7, 1924

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2002

सं. टीएएमपी/102/2001-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, संलग्न आदेशानुसार चैन्नई पत्तन न्यास द्वारा वसूल किए गए प्राथमिकता बर्थ किराया प्रभारों की वापसी के लिए मै. सी पोर्ट लॉजिस्टिक प्रा. लि. के आवेदन को अस्वीकार करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/102/2001-सीएचपीटी

मै. सी पोर्ट लॉजिस्टिक प्रा. लि. .... आवेदक

बनाम

चेन्नई पत्तन न्यास .... प्रत्यर्थी

आदेश

(21, मार्च 2002 को पारित)

यह मामला चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपी) द्वारा वसूल किए गए प्राथमिकता बर्थ किराया प्रभारों की वापसी के लिए मै.सी पोर्ट लॉजिस्टिक प्रा० लि० (एसईएपीओएल) के अभ्यावेदन से संबंधित है ।

2.1 एसईएपीओएल ने अपने अभ्यावेदन में निम्नलिखित बातें कही हैं :-

(i) सामान्य आगमन बारी आने पर बर्थ में लगाए गए जलयान पर प्राथमिकता बर्थ किराया प्रभार नहीं

लगता ; परंतु, सीएचपीटी ने 31 जनवरी, 1996 से 28 जुलाई, 1996 की अवधि में पहुंचे और बर्थ में लगाए गए (टीएनईबी के लिए थर्मल कोल ले जाने वाले) उसके सात जलयानों के लिए गलत ढंग से ये प्रभार लगाए हैं । बाद में सीएचपीटी ने दो जलयानों के लिए वसूल किए गए प्रभार वापस लौटा दिए ।

(ii) सीएचपीटी द्वारा प्राथमिकता बर्थ किराया प्रभार के लिए मांगी गई राशि का उसने सीएचपीटी द्वारा उसके पोतों को सेवा देना बंद कर देने की धमकी दिए जाने के मद्दे नज़र विरोध दर्ज कराते हुए भुगतान कर दिया था ।

(iii) सीएचपीटी से कई बार संपर्क किया गया और 9,90,160/- रु0 की विवादास्पद राशि की वापसी के दावे के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य और औचित्य प्रस्तुत करके मामले की पैरवी की गई । सीएचपीटी ने वापसी का दावा यह तर्क देकर अस्वीकार कर दिया कि दूसरी संस्थाएं भी इस प्रकार से वापसी का दावा करेंगी ।

(iv) मद्रास पत्तन न्यास (समुद्री विभाग) द्वारा 15 मार्च, 1995 के परिपत्र सं0 53/11056/94/एम के द्वारा प्राथमिकता/बेदखली प्राथमिकता देने के लिए फीस की वसूली के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 2 में यह उल्लेख है कि 'प्राथमिकता/बेदखली प्राथमिकता देने के लिए फीस की वसूली जलयानों पर ऐसे मामलों में वसूल नहीं की जाएगी जब प्राथमिकता/बेदखली प्राथमिकता देने के लिए भले ही आवश्यक निर्देश जारी किए गए हों परंतु ऐसे जलयानों के आने पर उन्हें उनकी बारी आने पर सामान्य अवधि में ही बर्थ में लगाया जाता है ।'

2.2 इस परिप्रेक्ष्य में एसईएपीओएल ने इस प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि सीएचपीटी द्वारा की गई प्राथमिकता बर्थ किराया प्रभारों की गलत वसूली से होने वाले मामले में उसे न्याय दिया जाए ।

3.1 निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अभ्यावेदन की प्रति विभिन्न पत्तन प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्ताओं की प्रतिनिधि संस्थाओं को और सीएचपीटी को टिप्पणियों के लिए भेजी गई । उनसे प्राप्त टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं :-

<u>शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 (एससीआई)</u>

सीईएपीओएल द्वारा प्रस्तुत दावे पर कोई टिप्पणी देना संभव नहीं है क्योंकि टीएएमपी और सीएचपीटी को संबोधित पत्रों की प्रतियों में केवल यही उल्लेख है कि जलयानों को बर्थ में उनकी सामान्य आगमन बारी आने पर ही लगाया गया था और प्राथमिकता बर्थ किराया प्रभारों की राशि का भुगतान विरोध दर्ज कराके किया गया था । इसमें उनके इस विवाद के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं है कि जलयान उनकी सामान्य आगमन बारी आने पर ही बर्थ में लगाए गए थे ।

<u>चेन्नई स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन (सीएसएए)</u>

(i) पत्तन को अपने प्राधिकार से प्रयोक्ताओं को दंडित नहीं करना चाहिए । टीएएमपी से अनुरोध है कि वह पत्तन द्वारा इस प्रकार की जाने वाली मनमानी कार्रवाई से सख्ती से निपटे ।

(ii) सही निर्णय लेने के लिए, उपर्युक्त अवधि की बर्थ योजना की संवीक्षा करना आवश्यक है ।

3.2 अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद सीएचपीटी ने अपनी लिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत नहीं की है ।

4. इस मामले में 18 दिसंबर, 2001 को चेन्नई में संयुक्त सुनवाई की गई । संयुक्त सुनवाई में, निम्नलिखित निवेदन प्रस्तुत किए गए :-

मैसर्स सी-पोर्ट लॉजिस्टिक प्रा0 लि0 (एसईएपीओएल)

(i) हम सीएचपीटी से बात कर रहे हैं ; अतः, हम इससे पहले टीएएमपी के पास नहीं आए । यह मामला सीएचपीटी में गत माह भी चल रहा था ।

(ii) यह मामला 7 जलयानों से संबंधित है । सीएचपीटी ने 2 जलयानों के संबंध में वापसी का आदेश दिया । हम अन्य 5 जलयानों के लिए भी दावा करना चाहते हैं ।

(iii) हमें नहीं मालुम कि टीएएमपी 1996 के इस मामले की जाँच कर सकता है अथवा नहीं । हम न्यायालय नहीं जाना चाहते । यदि टीएएमपी ही कोई निर्णय करे तो हमें खुशी होगी ।

(iv) "आबंटित बर्थ" ही काफी नहीं है । "विशेष सुविधा" भी होनी चाहिए । संबंधित बर्थ में कोई विशेष सुविधा नहीं है ।

शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई)

(i) अभ्यावेदनों के प्रति सीएचपीटी की प्रतिक्रिया की गति बहुत धीमी है । पहले पत्तन के साथ छंटनी करने में प्रयोक्ताओं के लिए बहुत समय लग जाता है । इसीलिए इस मामले में भी विलंब हुआ है ।

चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी)

(i) इन जलयानों को सामान्यतया टीएनईबी के कार्गो का प्रहस्तन करने के लिए निर्धारित बर्थों पर लगाया गया था । प्राथमिकता बर्थिंग प्रभार आवश्यक थे ।

(ii) उपर्युक्त बर्थों में कोई 'विशेष सुविधा' नहीं है । वे आबंटित बर्थ नहीं हैं ; अन्य जलयानों को बिना किसी प्राथमिकता प्रभार के बर्थ में लगाया जा सकता है ।

कंटेनर शिपिंग लाइन्स एसोसिएशन (सीएसएलए)

(i) एसईएपीओएल और सीएचपीटी के बीच हुआ पत्राचार देखें । सीएचपीटी की प्रतिक्रिया की गति काफी धीमी रही है । वे संबद्ध भी नहीं रहे हैं । टीएएमपी को न्याय करना चाहिए ।

(ii) यदि जलयान सामान्य अवधि में आए थे तो सामान्य प्रभार ही वसूल किए जाने चाहिए थे ।

(iii) इस मामले में कोई पारदर्शिता नहीं है ।

5.1 संयुक्त सुनवाई के बाद एसईएपीओएल ने दो पत्र भेजे जिनके साथ उसने सीएचपीटी द्वारा जारी प्राथमिकता बर्थ से संबंधित दिशानिर्देश/परिपत्र, बर्थिंग शीट जैसे कुछ दस्तावेजों की प्रतियाँ और सीएचपीटी के साथ हुए कुछ पत्राचार की प्रतियाँ भेजी हैं ।

एसईएपीओएल ने यह भी उल्लेख किया है कि केवल बर्थ जेडी-2 में ही विशेष सुविधा (अर्थात वाहित्र सिस्टम के साथ यांत्रिक हॉपर की कार्यप्रणाली) उपलब्ध है ; और उनके जलयान सामान्य आगमन बारी आने पर ही चौथी और पांचवी प्राथमिकता पर बर्थ में लगाए गए थे ।

5.2 एसईएपीओएल से प्राप्त उपर्युक्त पत्रों की प्रतियाँ सीएचपीटी को टिप्पणियों के लिए भेजी गई । सीएचपीटी से फिर कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

6. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :-

(i) यह मामला 5 अवसरों पर सीएचपीटी में विशिष्ट आगमन पर एसईएपीओएल से संबद्ध कुछ जलयानों पर प्राथमिकता बर्थ प्रभारों की वसूली के संबंध में है । उल्लेखनीय है कि यह विवादित वसूली सीएचपीटी द्वारा वर्ष 1996 में अर्थात इस प्राधिकरण का गठन होने से पहले की गई थी ।

(ii) सभी महापत्तन न्यासों में अतिरिक्त प्रभारों के लिए प्राथमिकता/बेदखली प्राथमिकता बर्थिंग की व्यवस्था है । यह व्यवस्था इस विषय पर सरकारी अनुदेश के संदर्भ में प्रचलित है । कई प्रस्तावों का निपटान करते समय इस प्राधिकरण ने यह मत व्यक्त किया है कि वर्तमान में बर्थिंग सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के संदर्भ में हमेशा कोई न कोई जलयान अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान करने के लिए तैयार रहेगा ; और इससे विवेक शक्तियों का प्रयोग करने की भी गुंजाइश रहेगी । चूंकि इस प्राधिकरण ने इस मामले में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है अतः यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिकता बर्थिंग व्यवस्था को न तो अनुमोदित किया जाए और न ही अस्वीकार किया जाए । महापत्तन न्यासों को यह प्रभार तब तक वसूल करते रहने की अनुमति दी गई है जब तक यह प्राधिकरण सभी पत्तनों द्वारा सामान्य रूप से अपनाया जाने वाला कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाए ।

(iii) एसईएपीओएल के अभ्यावेदन में 31 जनवरी, 1996 से 28 जुलाई, 1996 की अवधि में बर्थ में लगाए गए टीएनईबी के लिए कोयले की ढुलाई करने वाले अपने 7 जलयानों के संबंध में प्राथमिकता बर्थिंग प्रभारों की गलत वसूली का उल्लेख है । याचिकादाता ने स्वीकार किया है कि सीएचपीटी ने उसके दो जलयानों के लिए इस प्रभार की वापसी की उसकी मांग स्वीकार कर ली है । एसईएपीओएल का तर्क यह है कि शेष 5 जलयान उनके आगमन की सामान्य अवधि में ही बर्थ में लगाए गए थे और इसलिए उन पर प्राथमिकता प्रभारों का भुगतान नहीं किया जाना था । खेद है कि सीएचपीटी ने इस मामले में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है, केवल संयुक्त सुनवाई में कुछ सामान्य विवरण दिए थे । तथापि एसईएपीओएल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से ऐसा जान पड़ता है कि सीएचपीटी ने उसके 5 जलयानों पर वसूल किए गए प्राथमिकता बर्थिंग प्रभारों की वापसी के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि इन जलयानों को वास्तव में बर्थ देने में प्राथमिकता दी गई थी ।

हालांकि "आबंटित बर्थ" और "विशेष सुविधा" की बात भी उठाई गई है परंतु यह बात इस मामले में प्रासंगिक नहीं है ; प्राथमिकता बर्थिंग प्रभार की स्वीकार्यता के बारे में निर्णय लेने का वास्तविक मुद्दा यह है कि बर्थ देने में वास्तव में प्राथमिकता दी गई थी या नहीं । यह उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सीएचपीटी द्वारा जारी किए गए आंतरिक दिशानिर्देशों में ही यह बात स्वीकार की गई है कि अपनी सामान्य बारी आने पर बर्थ में लगाए गए जलयानों पर प्राथमिकता बर्थ प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे ।

(iv) इन 5 जलयानों के आगमन पर प्राथमिकता दी गई थी या नहीं, यह निर्णय करने के लिए उस समय विशेष में बर्थिंग अनुसूची और जलयानों की प्रतीक्षा स्थिति की विस्तृत संवीक्षा करना अनिवार्य है । यह बात स्वीकार करनी होगी कि जलयानों को बर्थ का आवंटन करने का मामला पत्तन न्यास द्वारा प्रहस्तन किया जाने वाला प्रचालन मामला है । अतः यह प्राधिकरण इस प्रकार के बर्थिंग ब्योरों की संवीक्षा नहीं करना चाहता । यह प्राधिकरण विशेषकर पत्तन न्यास से प्रत्युत्तर न मिलने के कारण कोई संवीक्षा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है ।

(v) यह प्राधिकरण सामान्यतया अपने आदेशों को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं करता । परंतु, विशेष परिस्थितियों के मामलों में इसे अपने आदेशों को पूर्व प्रभाव से लागू करना पड़ता है । उल्लेखनीय है कि तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय ने विधि मंत्रालय के परामर्श से यह सुझाव दिया था कि यह प्राधिकरण अपने आदेश पूर्व प्रभाव से लागू करने के लिए पारित कर सकता है । जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है कि यह मामला इस प्राधिकरण का गठन होने से पूर्व की अवधि के संबंध में है, तथापि इस प्राधिकरण को अपने गठन से पूर्व प्रचलित किसी प्रशुल्क व्यवस्था की जाँच करने में कोई आपत्ति नहीं है । यदि ऐसा नहीं होता तो यह प्राधिकरण किसी भी प्रशुल्क को इसलिए नहीं बदल सकता था क्योंकि वे उसके गठन से पूर्व अधिसूचित किए गए थे । निश्चय ही इस प्राधिकरण का गठन करने के लिए किसी कानून को स्थायी प्रशुल्क स्थिति का प्रमाण देने के लिए नहीं बदला गया होगा । इस स्थिति के बावजूद यह प्राधिकरण विसंगतियों/अनियमितताओं को दूर करने के लिए ही आमतौर पर अप्रैल 1997 से पूर्व अधिसूचित दरों के मान में परिवर्तन करने के लिए अभ्यावेदन को स्वीकार कर लेता है ।

वर्तमान मामले में, यह मुद्दा केवल उपर्युक्त 5 जलयानों तक सीमित है । न तो याचिकादाता और न ही अन्य किसी भी ऐसे प्रयोक्ता संगठन ने जिससे इस मामले में परामर्श किया गया, यह उल्लेख किया है कि 5 जलयानों से संबंधित मुद्दे का अभी भी अन्य जलयानों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है । ऐसी स्थिति में सीएचपीटी की दरों के मान को बदलने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

चूंकि उठाए गए मुद्दे केवल 5 जलयानों से संबंधित हैं अतः इस प्राधिकरण को लगता है कि इस मामले को संबद्ध अवधि की बर्थिंग अनुसूची के संबंध में उठाए गए मुद्दों की जाँच करने के सीमित प्रयोजन से सीएचपीटी पर ही छोड़ना प्रर्याप्त होगा ।

7. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण एसईएपीओएल के आवेदन को अस्वीकार करता है क्योंकि वह कोई प्रशुल्क नीति/ दिशानिर्देश निर्धारित नहीं करना चाहता या निर्णायक रूप से सीएचपीटी द्वारा लागू दरों के मान को गलत सिद्ध नहीं करता । परंतु यह प्राधिकरण इस मामले को सीएचपीटी पर इस परामर्श के साथ छोड़ता है कि वह इस मामले की पुनः जाँच करे और याचिकादाता को इसकी सूचना दे ।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन-143/III/IV-2002/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2002

No. TAMP/102/2001-CHPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby rejects the application of M/s. Sea Port Logistics Private Limited for refund of priority berth hire charges levied by the Chennai Port Trust as in the Order appended hereto.